न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 09 / 2015 / बाड़मेर

अपीलांट

1. किस्तुरसिंह पुत्र रूगसिंह फौत के कायम मुकाम:–
   1/1बाबूसिंह पुत्र किस्तुरसिंह उम्र 43 वर्ष
   1/2सरूपसिंह पुत्र किस्तुरसिंह उम्र 41 वर्ष जाति पुरोहित निवासी बीसूकला तहसील शिव जिला बाड़मेर
   1/3पवनकंवर पुत्र किस्तुरसिंह पत्नी नखतसिंह उम्र 30 वर्ष जाति पुरोहित निवासी रड़वा तहसील व जिला बाड़मेर।
   1/4अम्बादेवी पुत्री किस्तुरसिह पत्नी पुरूषोतमसिंह उम्र 25 वर्ष जाति पुरोहित निवासी रड़वा तहसील व जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.कानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उम्र 63 वर्ष
2.कमलसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उम्र 61 वर्ष
3.गजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उम्र 51 वर्ष
4.भैरूसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उम्र 47 वर्ष
5.जेतुसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उम्र 41 वर्ष
6.श्रीमती मथरादेवी पत्नी स्व. अर्जुनसिंह उम्र 79 वर्ष
7.तहसीलदार शिव।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव के राजस्व आवेदन संख्या 231/2013 बअनवान कानसिंह वगैरह बनाम किस्तुरसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 25.07.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बृजमोहन कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भगवानदास गोयल रेस्पोडेंट संख्या 01 व 06 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक:– 13.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण ने अपने आवेदन में अंकित किया कि मु. मूली बेवा पेमा कौम पुरोहित सासणदार के खेत पांच हल व चवदस हल साठीकड मौजा बिसूकला तहसील शिव में आये हुए थे जो पैमाईश से पूर्व खेत चवदस हल वाला रेस्पोडंट/प्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के पिता व रेस्पोडेंट/प्रार्थीनी संख्या 06 के पति स्व. अर्जुनसिंह व अपीलांट द्वारा हिस्सा बराबर–बराबर काश्त हेतु लिया था तथा पांच हल वाला खेत विप्रार्थी ने अकेले ने काश्त हेतु लिया और माफिक रिवाज हासल मु. मूली को देते थे। बाद वक्त पैमाईश संवत 2010–11 जब पैमाईश हुई तब चवदस हल वाला खेत प्रार्थीगण संख्या 01 से 06 के पिता व पति अर्जुनसिंह व विप्रार्थी ने पैमाईश अधिकारियों के साथ रह कर हिस्सा बराबर नपवा दिया था। पैमाईश विभाग ने इस चवदस हल खेत का खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 77 रकबा 86.12 बीघा कायम किया तथा विप्रार्थी ने पैमाईश वालों से सांठ गांठ कर प्रार्थीगण संख्या 01 से 06 के पिता व पति नौकरी पर चले जाने का नाजायज फायदा उठा कर अपने अकेले के नाम जारी करवा दिया जिसका प्रार्थीगण या प्रार्थीगण संख्या 01 से 06 के पिता व पति को कोई ज्ञान नहीं हो सका। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर क्या स्थिति है के बारे में कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई है तथा न ही स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है जिसके अभाव में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा विधि सम्मत नहीं है जो न्यायिक निर्णय की परिभाषा में न आकर अपास्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंटगण ने मनगढंत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है। वक्त सेटलमेंट के समय उतरदातागण का परिवार व अपीलांट का अलग–अलग निवास करते थे तथा अलग–अलग भूमि पर काश्त करते थे तथा वक्त सेटलमेंट के समय अपीलांट का खसरा संख्या 77 रकबा 86.12 बीघा भूमि पर कब्जाा काश्त था पक्षकारान के अलग–अलग रहने व अलग–अलग भूमि होने के कारण सेटलमेंट अधिकारियों ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार अलग–अलग रेकर्ड तैयार कर अलग–अलग पर्चा लगान जारी किया गया था। जो तथ्य अपीलांट द्वारा अपने जबाव आवेदन् व उसके साथ संलग्न दस्तावेज से भलीभांति अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करवाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व न तो मौका रिपोर्ट तलब की गई तथा न ही उतरदातागण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे यह साबित हो अपीलांट ने उतरदातागण की भूमि पर कब्जा कर रखा हो तथा न ही उतरदातागण ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से वादग्रस्त भूमि की पैमाईश करवाई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय उक्त तमाम तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 77 रकबा 86.12 बीघा भूमि का आया हुआ है जिसमें प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट का 1/2 हिस्सा व अपीलांटगण/विप्रार्थी का 1/2 हिस्सा वक्त पैमाईश प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 के पिता व पति राजकीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पुलिस सेवा में बाहर होने से विवादित भूमि अपीलांटगण के पिता ने पैमाईश अधिकारियों से मिलावट कर अपीलांटगण के पिता ने विवादित भूमि अपने नाम से दर्ज करा दी जिससे रेस्पोडेंटगण का वक्त सेटलमेंट से 1/2 हिस्सा पर पर लगातार काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये:–

RRD 1982 Page 370
RRD 1980 Page 245

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा पेश दृष्टांत के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाती है कि वादी एवं प्रतिवाद विवादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड सहखातेदार नहीं होने से हस्तगत प्रकरण पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत चस्पा नहीं होते है।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि आलोच्य आदेश पारित करने से एक दो दिन पूर्व ही अपीलांट के ब्रेन हेमरेज होने के कारण अपीलांट को ईलाज करवाने हेतु होस्पीटल लेकर गये तथा वहा पर अपीलांट का ऑपरेशन होने के कारण अपीलांट लम्बे समय तक होस्पीटल में भर्ती रहने व जैर ईलाज होने के कारण अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी तथा अब स्वस्थ होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर आलोच्य आदेश की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने दिनांक 17.03.2015 को आलोच्य आदेश की नकले मांगी जो नकलें तैयार होकर दिनांक 19.03.2015 को प्राप्त हुई जिस दिन सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादग्रस्त भूमि गांव पूंजराज सिंह की ढाणी के खसरा संख्या 77 रकबा 86.12 बीघा जमाबंदी संवत 2070 से 73 के मुताबिक अप्रार्थी संख्या 01 किस्तुरसिंह पुत्र रुगसिंह(अपीलांटगण के पिता) की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण अर्जुनसिंह वगैरह का इसमें सहखातेदार रूप में नाम दर्ज नहीं रहा है। प्रार्थीगण के अनुसार बंदोबस्त के वक्त अपने पिता/पति अर्जुनसिंह के नाम 1/2 हिस्सा नपवाना तथा उसके पति का पुलिस विभाग में नियुक्त हो जाने से वादग्रस्त भूमि खातेदारी में उसके नाम दर्ज नहीं हुई। रिकॉर्ड पर इस कथन का कोई पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत नहीं है न ही प्रार्थीगण का इस भूमि पर पृथमदृष्टया कोई कब्जा काश्त ही प्रमाणित हो रहा है। अपीलांटगण के पिता अकेले के नाम वादग्रस्त भूमि है। अपीलांटगण उसकी मृत्यु के पश्चात उनकी भूमि में खातेदार रूप में हकूक रखते हैं। यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध अनजान दावेदार के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जानी चाहिए। अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि में अभी तक रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है और न ही उनका वादग्रस्त भूमि पर पृथमदृष्टया कब्जा काश्त होना पाया है। मामला पृथमदृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। यदि उसके खातेदारी हक-हकूकों में अनावश्यक दखल होता है तो यह उनके लिए घोर अन्याय होगा और वे अपने संपूर्ण खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से नाहक वंचित होंगे और उन्हे अपूर्णीय क्षति की संभावना भी है। लिहाजा उपरोक्त सभी तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 231/2013 बअनवान कानसिंह वगैरह बनाम किस्तुरसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 25.07.2014 को अपास्त किया जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner